

आरसीडी-12001/1/2021-रेग्युलेटरी-एफएसएसएआई(ई-3842)  
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण  
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित सांविधिक प्राधिकरण)  
(विनियामक अनुपालन प्रभाग)  
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 14 जून 2022

आदेश

**विषय:** खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अंतर्गत ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों के लिए 'खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए सूचना का प्रदर्शन' करने से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन के बारे में।

खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुसार 'खाद्य सेवा स्थापनाओं में सूचना का प्रदर्शन' करने से संबंधित प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो एफ.एस.एस.ए.आई. के दिनांक 17.10.2021 और 28.12.2021 के निर्देशों के अनुसार 01 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। इन विनियमों के उप-विनियम 9 के अनुसार, 'जिन खाद्य सेवा स्थापनाओं के पास केन्द्रीय लाइसेंस हो अथवा 10 या उससे अधिक आउटलेट हों, वे कैलोरी मान (प्रति परोसे और परोसे साइज कि.कै. में) मेनु कार्ड या बोर्ड या बुकलेट में उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के सामने लिखेंगे और उप विनियम 5(3) में विहित यथा-विनिर्दिष्ट सूचना जैसेकि पोषण सूचना, एलर्जन सूचना, संघटक सूचना और इन विनियमों की अनुसूची - II के प्रावधान 1.1(1), (2), (3), (4) और 1.7 में विहित विशिष्ट अपेक्षाएं, यदि लागू हों, का उल्लेख करेंगे।'

2. इसके अतिरिक्त, विनियमों में यह भी विनिर्दिष्ट है कि "ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी उपरोक्त सूचना संबंधित खाद्य कारोबारी से प्राप्त करके उसे अपनी वेबसाइट पर देंगे, जहां लागू हो।" यह सूचना केवल ऐसे खाद्य कारोबारियों द्वारा प्रदर्शित की जानी है जो पूर्वोक्त विनियमों के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। अतः सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों को एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि वे पोषण सूचना के साथ-साथ पूर्वोक्त विनियमों में विहित अन्य विशिष्ट अपेक्षाओं के प्रदर्शन के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों सहित अपने ऑनलाइन प्लेटफार्मों में प्रावधानों को सक्षम बनाएं ताकि आपके अपने-अपने प्लेटफार्म पर

पंजीकृत खाद्य कारोबारी बिक्री के लिए परोसे जाने वाले प्रत्येक व्यंजन / खाद्य के संबंध में इस प्रकार की सूचना प्रदान कर सके और अद्यतन कर सके।

3. तदनुसार, क्षेत्रीय निदेशकों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारियों के माध्यम से इसका आवश्यक अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(इनोशी शर्मा)

कार्यकारी निदेशक (सीएस)

सेवा में

1. सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, एफ.एस.एस.ए.आई.
3. सभी केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वरिष्ठ निजी सचिव, एफ.एस.एस.ए.आई.
2. प्रमुख (आर सी डी) के वैयक्तिक सहायक
3. सलाहकार (एस एंड एस) के वैयक्तिक सहायक
4. प्रमुख (विनियम) के वैयक्तिक सहायक
5. सीटीओ को एफ.एस.एस.ए.आई. की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए